

Central Goods & Services Tax Act, 2017

**Section 148 : Special procedure for certain processes**

The Government may, on the recommendations of the Council, and subject to such conditions and safeguards as may be prescribed, <sup>1</sup>notify certain classes of registered persons, and the special procedures to be followed by such persons including those with regard to registration, furnishing of return, payment of tax and administration of such persons.

---

---

<sup>1</sup> See Noti. No. 62/2019-Central Tax, dt. 26-11-2019.

**धारा 148 : कतिपय कार्यवाहियों के लिए विशेष प्रक्रिया**

सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों और ऐसे कराधेय व्यक्तियों, जिनमें रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विवरणी का प्रस्तुत किया जाना, कर का संदाय और ऐसे कराधेय व्यक्तियों का प्रशासन भी शामिल है, द्वारा अनुसरण की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को <sup>1</sup>अधिसूचित कर सकेगी।

---

<sup>1</sup> अधिसूचना क्रमांक 62/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.11.2019 देखें।